कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 13/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री अजायब सिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति जट सिख निवासी
मालारामपुरा तहसील संगरिया

––अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

––प्रत्यार्थी

आदेश दिनांकः–05.04.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरूद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। अपीलार्थी की ओर से श्री रमेश दर्गन प्रतिनिधि के रूप उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 03.04.2018 को लिखित बहस पेश की गई थी। अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस में अंकित कथनो को दोहराते हुए कथन किया कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 4 बिन्दुओ के संबंध में सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षित सूचना उपलब्ध करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

अपीलार्थी के कथनो पर मनन किया तथा पत्रावली एवं अपीलार्थी की लिखित बहस का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से अपील में कोई जवाब प्राप्त नही हुआ है। इससे यह जाहिर होता है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते है कि अपीलार्थी का सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र 29.01.2018 के अनुसार उसके द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नियमानुसार आदेश प्राप्त होने के पश्चात 5 दिन में उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनो पक्षो को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफतर की जावे।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official